



Neutral Citation No.-2026:AHC:8462

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-47145 वर्ष 2024

नवनीत सिंह @ गांगुली आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: जितेंद्र सिंह, राघवेंद्र प्रकाश

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, सुनील थेकमा

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री रतगर्वेन्द्र प्रकाश, श्री विवेक चतुर्वेदी, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-338 वर्ष 2023, धारा 302, 506 भ०द०वि०, थाना-दीदारगंज, जिला: आजमगढ़ के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक के बारे में कहा जाता है कि उसने 23.12.2023 को दोपहर लगभग 12:30 बजे मृतक व्यक्ति पर हमला किया और उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी में लगभग छह घंटे की देरी हुई है, बल्कि यह समय से पहले है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह अ०सा०-1/सूचनाकर्ता का बयान दर्ज किया गया था और उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने शव परीक्षण परीक्षा के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। शव परीक्षण परीक्षा 24.12.2023 को लगभग 1:05 बजे हुई है, इस प्रकार, पूरी कवायद एंटे टाइम है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि अभियोजन पक्ष ने दो और चश्मदीद गवाहों को नामित किया है, अर्थात् उर्मिला और सुमन, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया था, इस तरह, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है। आवेदक 25.12.2023 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास पहले से ही भरे हुए हैं।

8. भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, (1983) 3 एस.सी.सी. 217 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी है कि वर्तमान गैर-अनुमेय भारतीय समाज में, कोई भी लड़की समाज में बदनाम होने से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला नहीं थोपेगी।

9. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई (उपरोक्त) में पारित उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, खारिज किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 13, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।